कैलाशी बनाम कचन

किस्म मुकद्दमा अपील नं. 07 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| 09/10/25 | पत्रावली पेश हुई वकील उभय पक्ष उप.। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय पृथक से [illegible] करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली [illegible] [illegible] होना [illegible] हो [illegible]<br><br>(विनु देवाल)<br>सहायक [illegible] एवं<br>[illegible] अधिकारी<br>[illegible] | |

## ...यालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

...सीन अधिकारी : **बीनू देवल (आर.ए.एस.)**

...करण संख्या : 07 / 2025 (2025 / 337)

**अनवान**

कैलाशी पुत्री बोतलाल कुमावत नि.जीतावल तह.व जिला चित्तौडगढ हाल पत्नी स्व. समुन्दरलाल कुमावत नि.बिनोता तह.निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

–अपीलान्ट्

बनाम

1. कंचन पुत्री बोतलाल कुमावत नि.जीतावल तह.व जिला चित्तौडगढ हाल पत्नी उदयराम कुमावत नि.ढोरिया तह.निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. मोहनी पुत्री बोतलाल कुमावत नि.जीतावल तह.व जिला चित्तौडगढ हाल पत्नी मोहनलाल कुमावत नि.काबरा तह.हमीरगढ जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत चिकसी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत चिकसी तह.व जिला चित्तौडगढ

–रेस्पोडेन्ट्स

कार्यवाही : 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री चन्दनमल जणवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 व 02

निर्णय दिनांक 09.10.2025

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स एंव नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम पंचायत चिकसी के विरूद्ध अपील अर्न्तगत धारा 75 एल. आर.एक्ट इस आशय की प्रस्तुत की मौजा जीतावल पटवार हल्का चिकसी के वर्तमान आराजी नं 63, 97, 193, 206, 212, 214 कुल किता 06 कुल रकबा 2.44 हे. जो खातेदार बोतलाल पिता भैरा कुमावत नि.जीतावल के नाम खातेदारी मे अंकित थी। जिनका स्वर्गवास जो जाने से उनके जायन्दा पुत्र नही होने से उनकी जायंदा पुत्रीया कैलाशी, कंचन, मोहनी पिता बोतलाल एंव पत्नी श्रीमती गीता बेवा बोतलाल के नाम इंतकाल नम्बर 51 विरासत का विपक्षी संख्या 3 ग्राम पंचायत चिकसी द्वारा दिनांक 21. 05.1990 को तस्दीक किया गया, उसके आधार पर जमाबन्दी 2041–2044 में इंतकाल नम्बर 51 से विरासत में नाम कैलाशी, कंचन , मोहनी पिता बोतलाल एंव गीता बेवा बोतलाल के बजाय कैलाश, कंचन, मोहनी पिता बोतलाल एंव गीता बेवा बोतलाल अंकित कर दिया गया, जबकि इंतकाल कैलाशी , कंचन, व मोहनी पिता बोतलाल के नाम

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

होना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन कर देने से अंकित हो उसके बाद जमाबंदी द्वारा सम्वत् 2051–2054 मे गीता बेवा बोतलाल का स्वर्गवास जाने से विरासत का इंतकाल नम्बर 97 में भी कैलाश, कंचन, मोहनी पिता बोतलाल अंकित कर दिया गया एंव उसके बाद इंतकाल नम्बर 99 में बिकाव से आराजी नम्बर 63 रकबा 0.05 हे. एंव आराजी नं 97 मे 0.01 हे. भूमि विक्रय कर दी गई। जिसका अंकन सम्वत् 2055 – 2058 की जमाबंदी में अंकित है। उसके बाद विक्रय से आराजी नं 63 रकबा 0.52 व आराजी नं 97 रकबा 0.63 भी विक्रय कर दी गई, जिसका इंतकाल नम्बर 141 दिनाक 05.06.2002 अंकन किया गया। उसके बाद वर्तमान में आराजी नं 193, 206, 212, 214 कुल किता 04 कुल रकबा 1.23 हे. भूमि अंकित है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 1 से 2 महिलाएँ होकर ग्रामीण परिवेश में रहती है और अशिक्षित होकर ज्ञान नहीं होने से पूर्व मे पता नही किया जा सका और जिससे जानकारी होते ही उक्त अपील पेश है। उक्त आराजी पर उभय पक्षकारान का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट को प्रथम बार जानकारी राज्य सरकार द्वारा जो केवाईसी में नाम जुडवाने अपीलांट दिनांक 07.03.2025 को गई थी तो अपीलांट के खाते मे कैलाशी के बजाय कैलाश अंकित होने से केवाईसी में नाम जोडने से मना कर दिया। जिस पर उक्त इअंतकाल की नकल तत्काल प्राप्त कर जानकारी से अन्दर अवधि उक्त अपील पेश है। फिर भी अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसे क्षम्य किया जाकर इस अपील को अन्दर अवधि शुमार की जावे। अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अन्त मे अपील अपीलान्ट की स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 21.05.1990 को निरस्त करने की एंव स्व.बोतलाल के वारिसान कंचन , मोहनी के साथ प्रार्थीया के नाम में कैलाश पिता बोतलाल के बजाय कैलाशी पिता बोतलाल कराए जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता चन्दनमल जणवा ने वकालतनामा पेश कर जवाब इस आशय का पेश किया कि अपीलांट कैलाश हमारी बहन है तथा हमारे पिता बोतलाल पिता भैरा कुमावत नि.जीतावल के हम तीनो जी जायन्दा पुत्रीया है। इन्तकाल नं 51 को निरस्त किया जाकर कैलाश की जगह कैलाशी पिता बोतलाल किए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। उक्त जवाब शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। बहस हस्तगत प्रकरण पर उभय पक्षकारान की नियत दिनांक को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार कर

न्यायालय सहायक कलेक्टर जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

स्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य करने एंव अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम त चिकसी द्वारा पारित इंतकाल नम्बर 51 निर्णय दिनांक 21.05.1990 को खारीज र राजस्व रेकार्ड मे कैलाश की जगह कैलाशी करने का निवेदन किया एंव उक्त कथन का अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने समर्थन किया है।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष के कथनो पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड नकल नामान्तकरण संख्या 51 मे विरासत से इंतकाल ग्राम पंचायत चिकसी द्वारा दिनांक 21.05.1990 को तस्दीक कर खातेदार बोतलाल की जायंदा पुत्रीया कैलाश, कंचन, मोहनी पिता बोतलाल एंव गीता बेवा बोतलाल के नाम इंतकाल खोलने की स्वीकृति हुई है। उक्त नामान्तकरण मे कैलाशी का नाम कैलाश कर देने से राजस्व रेकार्ड मे कैलाश अभिलिखित है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट अपने का नाम को दुरसत करवाने हेतू हस्तगत अपील पेश की है जो कि विधि सम्मत् है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चिकसी द्वारा पारित इतंकाल संख्या 51 निर्णय दिनांक 21.05.1990 को निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण तहसीलदार चित्तौडगढ को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट द्वारा बताये गये तथ्यो की समुचित जांच कर विधि सम्मत् नव निर्णय पारित करे।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया